

बिहार सरकार  
पर्यटन विभाग

प्रथम तल, बी० ब्लॉक, एक्सटेंशन भवन, मुख्य सचिवालय, पटना।

Email- js. bihartourism@gmail.com, website: www.bihartourism.gov.in



संचिका संख्या०- पर्य०वि०प०(ता०)- 25/2023.....1630 दिनांक 10-7-2023

प्रेषक,

उप निदेशक,  
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- प्रो० नवल किशोर यादव, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित ऑनलाईन प्रश्न संख्या- 1/204/25 को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रो० नवल किशोर यादव, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 204वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न ट्रैक्टर एवं ट्रैलर के निबंधन में मनमानी से संबंधित है। इस विषय का संबंध भवदीय के विभाग से है।

अतः उक्त प्रश्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तांतरित किया जा रहा है। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् को भी दी जा रही है।

सादर।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक,  
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

101

## Bihar Vidhan Parishad Question

1/204/25

### कार्रवाई करने का विचार

21/06/2023

21/06/2023

\*1/204/25

प्रो. नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना)

### पर्यटन

(क) क्या यह सही है कि ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए दस्तावेज के नहीं होने के कारण सात जिला पदाधिकारियों ने 8969 ट्रैक्टर ट्रेलर को मनमाने तरीके से कृषि श्रेणी के तहत निबंधित किया, जिससे राज्य सरकार को 2522 लाख करोड़ के राजस्व का भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर ट्रेलर के निबंधन में मनमानी करने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है ताकि किसानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े ?

-----